



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:3955

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ पीठ

ए.एफ.आर.

रिट - सी सं. - 1002800 सन् 2001

प्रहलाद गौड़

....याचीकाकर्ता

बनाम

उ.प्र. सहकारी न्यायाधिकरण लखनऊ एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- अनुज कुदेसिया, हिमांशु शुक्ला, विकास कुमार अग्रवाल

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- सी.एस.सी., कपिल मुनि दुबे, राकेश निगम, सती प्रसाद सिंह

@ सतीश कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 04

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

1. याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री दिवेश मिश्रा, विद्वान स्थायी अधिवक्ता राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से तथा श्री सतीश कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से सुने गए।
2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से याचीकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपील सं. 92/2006 में पारित दिनांक 29.5.2001 के आदेश तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 20.9.1996 के आदेश को चुनौती दे रहा है।
3. प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रारम्भिक आपत्ति उठाई है कि बैंक संचालित करने वाली सहकारी समिति एक निजी समिति है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका पोषणीय नहीं है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

(i) कृष्ण मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट-ए सं. 2329/2019)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) कुलविन्दर सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य [2019 (2) आईएलआर पंजाब एवं हरियाणा 1036]

(iii) आनन्द प्रकाश बनाम दिल्ली स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. एवं एक अन्य

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्य रखते हुए प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह एक निजी सहकारी समिति है, तथापि वे मध्यस्थ के दिनांक 20.9.1996 के आदेश और न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दे रहे हैं।

5. प्रकरण का तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है। याचिकाकर्ता समिति (प्रतिवादी संख्या 4) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सदस्य के रूप में नियुक्त था। श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह समिति के सचिव थे जब तक कि उन्हें समिति द्वारा निलम्बित नहीं किया गया। वे बैंक की स्थापना शाखा में भी नियुक्त थे और बैंक के कर्मचारियों के वेतन बिल तैयार करते थे तथा कर्मचारियों द्वारा समिति से लिए गए ऋण की वापसी के लिए उनके वेतन से कटौती करते थे।

6. दिनांक 10.8.1994 को बैंक ने वर्ष 1994-95 के लिए समिति को क्रेडिट सीमा स्वीकृत की। दिनांक 20.8.1994 को समिति ने बैंक के शाखा प्रबंधक को एक सूची प्रस्तुत की जिसमें समिति के व्यक्तिगत सदस्यों के विरुद्ध बकाया ऋण की राशि दर्शायी गई थी, जो सूची बैंक के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को अग्रेषित की गई।

7. दिनांक 2.9.1994 को बैंक के शाखा प्रबंधक ने सचिव द्वारा तैयार दिनांक 20.8.1994 की सूची जाँच अधिकारी, विशेष अन्वेषण शाखा सहकारी, लखनऊ को भेजी, जिसे जिला सहायक रजिस्ट्रार, बस्ती ने प्रमाणित किया। समिति के सचिव ने सदस्यों को निर्देश दिया कि वे ऋण राशि पर लगाए गए ब्याज की जाँच करें, जिन्होंने पासबुकें प्राप्त की थीं और किसी विसंगति की स्थिति में आपत्तियाँ दाखिल करें, क्योंकि जाँच प्रारम्भ होने से समिति के दस्तावेजों की जाँच उनके द्वारा की जा रही थी। सचिव – श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह समिति के प्रासंगिक अभिलेखों के साथ फरार हो गए।

8. जाँच समिति के अध्यक्ष ने श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह को समिति का अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा की, जिन्होंने वर्ष 1986 तक के व्यक्तिगत सदस्यों के कुछ अभिलेख और वर्ष 1993-94 तक की बैलेन्स शीट को छोड़कर समिति का प्रासंगिक अभिलेख नहीं सौंपा। श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह ने दिनांक 25.11.1994 का एक दस्तावेज कूटरचित एवं जालसाजीपूर्वक तैयार किया जिसमें यह दर्शाया गया कि उन्होंने जाँच समिति के अध्यक्ष श्री हीरा लाल मिश्रा को समिति के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सभी अभिलेख सौंप दिए हैं। उक्त दस्तावेज पर श्री हीरा लाल मिश्रा ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे।

9. दिनांक 18.10.1994 को गबन का पता चलने पर अंकेक्षकों ने जिला सहायक रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट बनाकर समिति के अभिलेख एवं कार्यालय की जब्ती की सिफारिश की। दिनांक 27.10.1994 को जिला सहायक रजिस्ट्रार ने अभिलेख जब्त करने के बजाय अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए ए.डी.सी.ओ. नियुक्त किया और श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई, जिन्हें बैंक द्वारा सेवाओं से तत्काल निलम्बित कर दिया गया। श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह ने वह राशि जमा नहीं की जो उन्होंने समिति के सदस्यों से वसूली थी। समिति ने दिनांक 17.1.1995 को श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह के विरुद्ध रु. 50 लाख के गबन के लिए एफ.आई.आर. दर्ज कराई। श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह के कृत्य के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बस्ती को भेजी गई।

10. दिनांक 9.3.1995 को बैंक ने याचिकाकर्ता को रु. 1,26,776/- की राशि के लिए माँग सूचना जारी की। तत्पश्चात् बैंक ने याचिकाकर्ता को एक और माँग सूचना भेजी जिसमें यह दर्शाया गया कि वर्ष 1991 से उसके वेतन से कोई कटौती नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, लखनऊ के समक्ष धारा 70 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया। बैंक ने उत्तर दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता के वेतन से ऋण कटौती रोकने तथा श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा दी गई दिनांक 20.8.1994 की सूची – जिसमें याचिकाकर्ता के नाम के विरुद्ध शून्य बकाया ऋण दर्शाया गया था – को स्वीकार किया।

11. तत्पश्चात् समिति ने भी उत्तर दाखिल करते हुए श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा पासबुक जारी किए जाने और दिनांक 20.8.1994 की सूची – जिसमें याचिकाकर्ता के नाम के विरुद्ध शून्य बकाया ऋण दर्शाया गया था – को स्वीकार किया। दिनांक 5.7.1996 को मध्यस्थ ने याचिकाकर्ता के दिनांक 21/22.2.1996 के उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया जिसमें श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह से दस्तावेज तलब करने की प्रार्थना थी और याचिकाकर्ता का दावा भी खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दाखिल की। इस बीच, एक विभागीय जाँच के पश्चात् – जिसमें यह पाया गया कि उन्होंने रु. 58,58,403/- की राशि का गबन किया था – श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। दिनांक 29.5.2001 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की अपील भी खारिज कर दी गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में विशेष अपील सं. 297/2025 में खंडपीठ के निर्णय पर भी भरोसा किया। प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत किया जाता है:

"चूँकि हमने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए हैं, हम निम्नलिखित प्रश्न/बिंदु उस पीठ के विचारार्थ निर्धारित करते हैं जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 के अध्याय VIII नियम 3 के अंतर्गत गठित करना उचित समझें:

i. क्या विद्वान एकल न्यायाधीश का रिट-सी सं. 7497/2025 [बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लि. एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य] में आदेश – जो विशेष अपील सं. 297/2025 में विवादित है – पूर्णतः या आंशिक रूप से अधिकारातीत है? यदि हाँ, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत विशेष अपील की पोषणीयता के प्रश्न तथा उसमें अन्तर्निहित विषयों के गुण-दोष पर इसके क्या परिणाम होंगे।

ii. क्या विशेष अपील सं. 297/2025 में विवादित रिट न्यायालय का आदेश रिट याचिका के दायरे से बाहर है?

iii. विशेष अपील सं. 297/2025 में खंडपीठ के सदस्यों द्वारा व्यक्त दो मतों में से कौन सा मत सही है?"

12. उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त निर्णय में न्यायाधिकरण द्वारा पारित अन्तर्वर्ती आदेश तथा रिट याचिका में पारित अन्तरिम आदेश के सम्बन्ध में यह प्रश्न कि – इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत विशेष अपील पोषणीय नहीं है अथवा न्यायाधिकरण द्वारा पारित अन्तर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पोषणीय है या नहीं – के अतिरिक्त कोई अन्य प्रश्न बृहत्तर पीठ को नहीं भेजा गया था। अतः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णय की विधिक स्थिति प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होती।

13. विवाद के निर्णय के लिए, प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए जाते हैं:

(i) कृष्ण मोहन (उपरोक्त) – प्रासंगिक पैरा:

"3. श्री एच.आर. मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने रिट याचिका की पोषणीयता के बारे में एक प्रारम्भिक आपत्ति उठाई है। उन्होंने विजय बिहारी श्रीवास्तव बनाम उ.प्र. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., (2003) 1 यूपीएलबीईसी 1 में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया। यह अभिनिर्धारित किया गया:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"35. उपरोक्त विवेचना के आलोक में हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि क्या सर्टिओरारी की प्रकृति में रिट किसी सहकारी समिति के विरुद्ध झूठी होगी या वह संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त 'अन्य प्राधिकरण' शब्दों के अर्थ में आती है, इस प्रकार:

सर्टिओरारी की प्रकृति में रिट किसी सहकारी समिति के विरुद्ध केवल तभी झूठी होगी जब ऐसी समिति में संविधान के अनुच्छेद 226 के अर्थ में 'प्राधिकरण' के तत्त्व हों, अन्यथा नहीं। उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त उल्लिखित विभिन्न निर्णयों से निम्नलिखित दिशा-निर्देश निकाले गए हैं:

1. प्रबंध निकाय/समिति का संविधान सरकार के पदाधिकारियों से बना हो।
2. सरकार द्वारा सहकारी समिति के प्रबंधन एवं नीतियों पर गहरा एवं व्यापक नियंत्रण हो।
3. सहकारी समिति का कार्य सार्वजनिक महत्व का हो और सरकारी कार्यों से निकट रूप से संबंधित हो।
4. वित्तीय नियंत्रण सरकार द्वारा हो या वह इसके मामलों को नियंत्रित करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करती हो।
5. समिति पर लागू वैधानिक नियमों का उसके कर्मचारियों के सेवा विषयों के संबंध में उल्लंघन, तथा
6. अधिनियम के अंतर्गत किसी प्राधिकरण द्वारा वैधानिक उल्लंघन या उसका अनुपालन न करना।"

(ii) कुलविन्दर सिंह (उपरोक्त) – प्रासंगिक पैरा:

"7. प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 को राज्य की साधन-संस्था मानने के लिए आवश्यक एक भी कारक इंगित करने में सक्षम नहीं हो सके। इस न्यायालय को यह नहीं दर्शाया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 – सहकारी समिति को कोई वित्त उपलब्ध कराया गया है, या कोई अधिकारी प्रतिवादी संख्या 3 – सहकारी समिति को किसी प्रकार से प्रशासनिक रूप से नियंत्रित कर रहा है। माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सत्रुघन निषाद के प्रकरण (उपरोक्त) में निर्धारित शर्तों में से कोई भी प्रस्तुत मामले में पूरी नहीं हुई है जिससे उक्त सहकारी समिति को राज्य की साधन-संस्था माना जा सके और इस न्यायालय के रिट अधिकार-क्षेत्र के अधीन किया जा सके।"

(iii) आनन्द प्रकाश (उपरोक्त) – प्रासंगिक पैरा:

"7. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निम्न का संदर्भ दिया:

(i) डब्ल्यू.बी. स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. बनाम परितोष बागची, (1995) 6 एससीसी 562।

(ii) देवकीनन्दन प्रशर बनाम आगरा जिला सहकारी बैंक, (1973) 3 एससीसी 303: एआईआर 1972 एससी 2497।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह तर्क देने के लिए कि उन मामलों में सहकारी बैंकों के विरुद्ध रिट याचिकाएँ पोषणीय मानी गईं। तथापि, उपरोक्त दोनों में से किसी भी निर्णय में रिट याचिका की पोषणीयता पर कोई विचार-विमर्श नहीं मिलता। मेरे द्वारा उद्धृत निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने सहकारी समिति के विरुद्ध रिट याचिका की पोषणीयता की संभावना को नकारा नहीं है, बल्कि उसके लिए परीक्षण निर्धारित किए हैं। हो सकता है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों में सहकारी बैंकों ने उक्त परीक्षणों को पूरा किया हो और इसलिए रिट याचिका की पोषणीयता का प्रश्न नहीं उठाया गया। तथापि, केवल इस कारण कि किसी अन्य सहकारी बैंक के विरुद्ध रिट याचिकाएँ ग्रहण की गईं, प्रस्तुत रिट याचिका की पोषणीयता तब तक उचित नहीं होगी जब तक कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष यह स्थापित नहीं करता कि प्रतिवादी के संबंध में परीक्षण पूरे होते हैं, जो याचिकाकर्ता ने अवसर मिलने के बावजूद नहीं किया।"

14. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सहकारी समिति एक निजी सहकारी समिति है जिसने निजी क्षमता में एक बैंक स्थापित किया है। सम्पूर्ण रिट याचिका में ऐसा कोई अभिकथन या कथन नहीं है कि प्रतिवादी बैंक राज्य की साधन-संस्था है या कोई सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करती है जिससे वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में आए। केवल सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक विनियमन या यह तथ्य कि मध्यस्थ द्वारा और अपील में न्यायाधिकरण द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, स्वयं में संविदात्मक या सेवा-संबंधी विवादों से उत्पन्न मामलों में किसी निजी सहकारी समिति के विरुद्ध अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका की पोषणीयता प्रदान नहीं करता।

15. उच्चतम न्यायालय एवं इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में निरन्तर यह अभिनिर्धारित किया है कि सहकारी समितियों से जुड़े निजी विवादों के निर्णय के लिए रिट अधिकार-क्षेत्र का आह्वान नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह न दर्शाया जाए कि समिति राज्य या राज्य की साधन-संस्था है, अथवा जिस कार्य की शिकायत की गई है उसमें प्रत्यक्ष सार्वजनिक विधि का तत्व है। प्रस्तुत विवाद पूर्णतः सदस्य/कर्मचारी और समिति के बीच का आपसी विवाद है, जिसमें तथ्यों के विवादित प्रश्न सम्मिलित हैं, जिनका उपचार अन्यत्र है न कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णय प्रस्तुत मामले पर पूर्णतः लागू होते हैं।

16. इस तथ्य के दृष्टिगत कि रिट याचिका के किसी भी पैराग्राफ में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रस्तुत सहकारी समिति राज्य की साधन-संस्था है, तथा उपरोक्त तथ्यों एवं सुस्थापित



विधिक स्थिति के आलोक में, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि रिट याचिका पोषणीय नहीं है और इसे एतद्द्वारा **खारिज** किया जाता है।

दिनांक: 19 जनवरी, 2026

गौतम

(इरशाद अली, न्यायमूर्ति)

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।